



Neutral Citation No. - 2026:AHC:13596

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट याचिका संख्या- सी – 383 वर्ष 2026

ताहिरा बानो ...याचिकाकर्ता

बनाम

विजय सिंह और 2 अन्य ...प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: रमेश सिंह कुशवाहा, सुशील कुमार कुशवाहा

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या – 2

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया

1. दिनांक 13.09.2024 का वह आदेश जिसके द्वारा प्रतिवादी संख्या 1-विजय सिंह द्वारा दायर बहाली आवेदन को स्वीकार किया गया, साथ ही दिनांक 24.09.2025 का वह आदेश जो प्रतिवादी संख्या 3-उप मंडल अधिकारी, तहसील-अलीगंज, जिला एटा द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 35 (2) के तहत दायर अपील पर पारित किया गया, वर्तमान रिट याचिका में चुनौती के अधीन हैं।
2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई है कि दिनांक 24.09.2025 के आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ता के पास राजस्व बोर्ड या संबंधित आयुक्त के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर करने का वैधानिक वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है, जैसा कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 210 के अंतर्गत प्रावधान है।
3. चूंकि याचिकाकर्ता के पास उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 210 के तहत पुनरीक्षण याचिका दायर करने का वैधानिक वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है, इसलिए वर्तमान रिट याचिका खारिज की जाती है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

20 जनवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"